कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

प्रदेश में विभिन्न अपराधों में 556 गिरफ्तार

जयपुर, 23 अप्रेल। पुलिस द्वारा जिलों में विभिन्न गतिविधियों में लिप्त अभियुक्तों को पकडने का अभियान चला रखा है। जिसके अन्तर्गत पुलिस ने प्रदेश में गत सप्ताह विभिन्न अपराधों में 556 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया हैं।

इस सम्बन्ध में राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा महिलाओं के साथ छेडछाड, शराब तस्करी एवं अवैध विक्रय में लिप्त, जुआ व सट्टे खेलने वाले एवं अवैध हथियार रखने वालों पर तत्परता से कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये थे।

पुलिस ने राज्य में महिलाओं के साथ छेडछाड करते पाये गये 0 व्यक्तियों, शराब तस्करी एवं अवैध विक्रय में लिप्त 204 व्यक्तियों, जुआ व सट्टे खेलने वाले 274 व्यक्तियों एवं अवैध हथियार रखने वाले 78 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस द्वारा विभिन्न अपराधों में गिरफ्तार 556 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर आगे नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

राही/सन्तरा/325/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट **www.police.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने का कुख्यात अन्तर्राज्यीय अपराधी पुलिस ने किया गिरफ्तार, करीब छः सौ बारदातें कबूली

जयपुर 23 अप्रेल। भरतपुर जिले में एटीएम मशीन पर रूपये निकालते समय मदद का झांसा देकर हाथ की सफाई से लोगों के एटीएम कार्ड बदलकर उनके खातों से रूपये निकालने की वारदातों की रोकथाम एवं खुलासे के लिए श्री भरतलाल मीना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय भरतपुर के निर्देशन में वृत्ताधिकारी वृत्त शहर भरतपुर श्री आवडदान रत्नू के नेतृत्व में थाना मथुरागेट थानाधिकारी की एक विशेष टीम गठित की। विशेष टीम ने आज एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने का कुख्यात अन्तर्राज्यीय अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर करीब छः सौ बारदातें कबूली करवाई है।

जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर श्री कैलाशचन्द्र विश्नोई ने बताया कि पुलिस की विशेष टीम ने थाना मथुरागेट पर 1 नवम्बर 2016 को दर्ज मुकदमा जो कि प्रार्थी प्रदीप पुत्र अशोकबाबू जाति यादव निवासी बृजनगर थाना मथुरागेट ने इस आशय का दर्ज कराया कि ''प्रार्थी के पिता अशोकबाबू के पेंशन के खाते से 09.10.2016 को न्यू सिविल लाईन सारस चौराहा के एटीएम पर प्रार्थी प्रदीप से पैसे निकालने गया तो किसी कारणवश वह सही तरीके से नही लग पाया तो एटीएम के अन्दर खडे एक अन्य व्यक्ति ने मेरे एटीएम कार्ड को लेकर कहा कि इसे ऐसे लगाओ एवं मुझे गुप्त कोड नम्बर लिखने को कहा तो मैंने गुप्त कोड डाला और दस हजार रूपये निकल आये। तभी उस अन्य व्यक्ति ने एटीएम कार्ड को बदल दिया। पुनः दिनांक 01.11.2016 को एटीएम पर पैसे निकालने गया तो एटीएम कार्ड एसैप्ट नही कर रहा था तो मैं तुरन्त बैंक शाखा कलक्ट्रेट भरतपुर में गया तो जानकारी मिली कि दिनांक 09.10.2016 से 01.11.2016 तक करीब 40 हजार रूपये प्रतिदिन एटीएम से निकाले गये हैं। किसी एक्सपर्ट व्यक्ति ने फर्जीवाडा कर उक्त खाते से दिनांक 09.10.2016 से लेकर 29.10.2016 के इस बीच में भरतपुर, फरीदाबाद, कुम्हेर, हिसार, पटियाला आदि कई जगह में स्थापित एटीएम से 7 लाख 50 हजार रूपये निकाल लिये हैं।

श्री कैलाशचन्द्र विश्नोई ने बताया कि उक्त निकाले गये रूपयों को कुलदीपसिंह के नाम वाले खाते में व अन्य कई खातों में ट्रान्सफर किये गये हैं''

उन्होंने बताया कि उक्त प्रकरण की गम्भीरता एवं जिले में पूर्व में गठित ऐसे ही मामले के खुलासे हेतु टीम द्वारा पृथक–पृथक एवं सामूहिक प्रयासों के दौरान इसी तरह की वारदातों को अंजाम देने में माहिर कुख्यात अपराधी विजय कुमार उर्फ बाजा पुत्र पालाराम जाति सांसी उम्र 33 साल निवासी डाटा थाना हांसी सदर जिला हिसार (हरियााणा) हाल प्रशान्त कॉलोनी बरवाला जिला हिसार (हरियााणा) को संदिग्ध आरोपी के रूप में चिन्हित कर कस्वा बरवाला जिला हिसार (हरियााणा) से धर दबोचने में सफलता हासिल की है।

उन्होंने बताया कि विजय कुमार से गहनता से पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि करीब बर्श 2010 से ही ऐसी वारदातों को आसानी से अंजाम दे सकने के कारण एवं विशेश फायदे के कारण करना शुरू कर दिया था। जिसके तहत अपराधी कई राज्यों एवं जिलों में घूमता रहता है एवं घूमते समय ऐसे एटीएम मशीनों को चुनता है जहॉ भीड–भाड अधिक हो एवं स्वयं भी ग्राहक के रूप में इन्तजार करता हुआ खडा हो जाता है। फिर उनमें से ऐसे किसी व्यक्ति को चिन्हित करता है जो एटीएम मशीन को ठीक तरह से संचालित नही कर पा रहा हो विशेष कर ग्रामीण परवेश के लोग, वृद्ध आदि एवं उनको रूपये निकालने में स्वयं मदद का आग्रह करके रूपये निकालने में उनकी मदद करता है एवं इस दौरान पिन नम्बर को याद कर लेता है। फिर निकले हुये रूपये उस व्यक्ति को थमा देता है और वह व्यक्ति रूपये गिनने में व्यस्त हो जाता है इसी दौरान हाथ की सफाई से उसके स्वयं के एटीएम कार्ड के बजाय उसको दूसरा एटीएम कार्ड जो पहले से किसी अन्य व्यक्ति से चुराया हुआ एटीएम कार्ड आरोपी के पास होता है उसको थमा कर तुरन्त रवाना हो जाता है। एवं दूर जाकर उस एटीएम कार्ड से उसके खाते से रूपये निकाल लेते थे।

श्री कैलाशचन्द्र विश्नोई ने बताया कि कुछ मामलों में यह भी पाया गया है कि आरोपी अत्यन्त शातिर तरीके से वारदात को सफलता पूर्वक अंजाम देने के लिए ऐसे खातों के एटीएम जिनमें रकम लाखों में हो तो इस डर से कि कहीं खाता धारक एटीएम कार्ड को लॉक नही करवा दे अथवा खाते का संचालन बन्द नही करवा दे उससे पहले ही ऐसे किसी एटीएम कार्ड के खाता धारक के खाते में रूपये ट्रान्सफर कर देते थे जिसके खाते में रूपये बहुत कम या नही के बराबर हो। क्योंकि आरोपी सोचता था कि ऐसा खाता धारक जिसके खाते में रूपये ही नही है तो वह खाता के संचालन को रोकने की बैंक में मशक्कत नही करेगा। इस प्रकार आरोपी से पूछताछ पर सामने आया कि अत्यन्त शातिराना तरीके से आरोपी द्वारा जिला भरतपुर में करीब 40–50 इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देने के अतिरिक्त राजस्थान के अलवर, भिवाडी, धौलपुर, मध्यप्रदेश के ग्वालियर, उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, हरियाणा के जीन्द, हिसार, रोहतक, गुडगांव, फरीदाबाद, दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर सहित अनेक राज्यों/जिलों के विभिन्न स्थानों पर करीब 500–600 वारदातें करना स्वीकार किया है। आरोपी के साथ सहयोगी के रूप में उसके अन्य साथी भी बदल–बदलकर आते थे।

राही/सन्तरा/326/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट **www.police.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध है।